

राजभाषा विभाग के दिनांक 18-6-77 के का०जा०सं० 1/14013/5/76-रा०भा०(क-1) की प्रतिलिपि

विषय:- हिंदीभाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्डों, नाम पट्टों आदि में भाषाओं का प्रयोग ।

मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि केन्द्रीय हिंदी समिति की 11 जनवरी, 1977 की बैठक में अहिंदी-भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों और कार्यालयों के नामों के बोर्डों तथा इनके द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले नोटिस बोर्डों आदि में क्षेत्रीय भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी के प्रयोग के बारे में विचार-विमर्श किया गया और यह तय किया गया कि ऐसे बोर्डों में भाषाओं का प्रयोग इस क्रम में हो:-

- (1) क्षेत्रीय भाषा
- (2) हिंदी
- (3) अंग्रेजी

सभी भाषाओं की लिपियों के अक्षर बराबर आकार के होने चाहिए । यह भी तय किया गया कि तमिलनाडु में फिलहाल "यथास्थिति" ही कायम रहे ।

वित्त मंत्रालय से अनुरोध है कि केन्द्रीय हिंदी समिति के इस निर्णय को अपने सभी संबंधित अधिकारियों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और अपने नियंत्रणाधीन या स्वामित्व वाली कम्पनियों और निगमों के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई के लिए ला दें । इस सम्बद्ध में जारी किए गए आदेशों की एक प्रति राजभाषा विभाग को भी सूचनार्थ भेज दें ।

Copy of Department of Official Language O.M. No. 1/14013/5/76-O.L.(A-I) dated 18.6.77

Subject:- Use of Languages on notice boards/name plates to be displayed for the information of the public by Central Government Offices located in non-Hindi speaking areas.

I am directed to say that the question of using the regional language, Hindi and English in the name-boards/notice-boards to be displayed for the information of the public by Central Government Offices and undertakings and located in non-Hindi speaking areas was discussed in the meeting of the Kendriya Hindi Samiti held on 11<sup>th</sup> January, 1977 and it was decided that the use of these languages on such boards should be in the following order:-

- (1) Regional language
- (2) Hindi
- (3) English

The letters of the scripts of all the languages should be of the same size. It was decided that for the present, status-quo may be maintained in Tamil Nadu.

2. The Ministry of Finance, etc. are requested to bring the above decision of the Kendriya Hindi Samiti to the notice of all their concerned officers, attached and subordinate offices and Companies and Corporations controlled or owned by them for necessary action. A copy of the orders issued in this regard may also be sent to the Department of Official Language for information.